महात्मा ज्योतिबा फुले मुख्य मंडी प्रागंण कृषि उपज मंडी समिति
(फल एवं सब्जी) टर्मिनल मार्केट मुहाना, जयपुर

ई–मेल kums.jaipurfv@rajasthan.gov.in फोन नं. 0141–2940888

क्रमांकः–   दिनांकः–

आवंटन विज्ञप्ति

कृषि उपज मण्डी समिति, (फल सब्जी) जयपुर के इस आवंटन विज्ञप्ति दिनांक तक के समस्त संयुक्त/'क' वर्ग दलाल/व्यापारी वर्ग के अनुज्ञापत्रधारियों मण्डी क्षेत्र की अनुज्ञापत्रधारी तेल मिलों व अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण ईकाईयों (मण्डी प्रांगण से बाहर) जिनमें इस आंवटन विज्ञप्ति के जारी होने से पूर्व के 03 पूर्ण वित्तीय वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा हो, वन उपज/औषधीय पादप/जड़ी बूटियों के अनुज्ञाधारी व्यवसाईयों, मण्डी समिति क्षेत्र के ऐसे जैविक खेती (Organic Farming) कृषि के उत्पादक कृषक जो कि जैविक खेती उत्पादक की निर्धारित अर्हतायें (सम्बन्धित विभाग अनुसार) पूर्ण करते हैं, पंजीकृत कृषक उत्पाद संगठन/कम्पनी जिन्हें मण्डी समिति द्वारा सीधी खरीद के अनुज्ञापत्र दिये हुये हैं अथवा उपविधियों में वर्णित अहर्ताऐं पूर्ण करते हों एवं कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर के मण्डी क्षेत्र में स्थाई रूप से निवास करने वाली ऐसी महिला कृषक जो राजस्व अभिलेख में इस आवंटन विज्ञप्ति दिनांक से कम से कम दो वित्तीय वर्ष पूर्व से स्वयं के नाम से कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर के मण्डी क्षेत्र में अवस्थित न्यूनतम एक बीघा कृषि भूमि धारण करती हो अथवा जिनकी राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खातेधारी (पुरूष/महिला) की भूमि हो तथा वह वास्तविक रूप से उस भूमि पर तत्समय पर कृषि कार्य करती हो/करता हो एवं जमाबन्दी के साथ गिरदावरी से सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करती हो, को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर के मुख्य मण्डी प्रांगण, टर्मिनल मार्केट मुहाना, जयपुर में निम्न विवरणानुसार भूखण्डों का आवंटन द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरण में अचल संपत्ति आवंटन नीत्ति 2005 के तत्समय प्रभावी प्रावधानों के अर्न्तगत नियमानुसार निर्धारित शर्तों पर 99 वर्षीय लीज पद्धति पर किया जाना है। उक्त वर्ग से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है :–

मण्डी प्रांगण का नाम	भूखण्ड आवंटन का प्रयोजन	उपलब्ध भूखण्डों का साईज व संख्या	महिला कृषकों हेतु आरक्षित भूखण्डों की संख्या				जैविक खेती के उत्पादक कृषकों हेतु आरक्षित भूखण्डों की संख्या	पंजीकृत कृषक उत्पाद संगठन/कम्पनी हेतु आरक्षित भूखण्डों की संख्या	अनुज्ञापत्रधारी कृषि जिन्स प्रसंस्करण ईकाईयों (मण्डी प्रांगण से बाहर)		वन उपज/औषधीय पादप/जड़ी बूटियों के अनुज्ञाधारी व्यवसाईयो Non TSP		अनुज्ञाधारी व्यापारियों हेतु उपलब्ध भूखण्डों की संख्या		आवंटन दर
			सामान्य महिला कृषक वर्ग	अनुसूचित जाति/जन जाति महिला कृषक वर्ग	विधवा महिला कृषक वर्ग	निःशक्तजन महिला कृषक वर्ग			सामान्य	निःशक्तजन	सामान्य	निःशक्तजन	सामान्य	निःशक्तजन	
मुख्य मण्डी प्रांगण टर्मिनल मार्केट मुहाना	अधिसूचित कृषि जिन्सों के व्यवसाय हेतु	30X80, 14	02	01	–	–	01	01	01	–	01	–	07	–	आवंटन के समय प्रभावी डी. एल.सी. दर का शत प्रतिशत
		15X30, 105	13	SC-03 ST-03	01	01	01	05	11	–	05	–	60	02	
		20X40, 31	04	SC-01 ST-01	–	–	01	02	03	–	02	–	16	01	
योगः–		150	19	09	01	01	03	08	15	–	08	–	83	03	

ाटः– अनुमानित कीमत

		आरक्षित दर 100 प्रतिशत	आरक्षित दर का डेढ गुणा 150 प्रतिशत	आरक्षित दर का दो गुणा 200 प्रतिशत
साईज 30X80	222.97 वर्ग मीटर	6664350/–	9996637/–	13328701/–
साईज 15X30	41.82 वर्ग मीटर	1249957/–	1874958/–	2499916/–
साईज 20X40	74.35 वर्ग मीटर	2222350/–	3333407/–	4444494/–

उक्त दर व्यापार श्रेणी के आवेदको पर लागू होगी।

उक्तानुसार अनुज्ञापत्रधारी वर्ग हेतु आवंटन के लिए उपलब्ध भूखण्डों के आवंटन में मण्डी समिति के ऐसे अनुज्ञापत्रधारी जो अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 की प्रभावशीलता दिनांक 25.04.2005 से पूर्व के अनुज्ञापत्रधारी हैं तथा वर्तमान तक निरन्तर कार्यरत हों, को सर्वप्रथम आवंटन किया जावेगा। उक्त अनुज्ञापत्रधारियों में प्रथम चरण के आवंटन से शेष रहे अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों एवं "क" वर्ग दलाल/संयुक्त व्यापारी को प्राथमिकता दी जावेगी। ऐसे आवेदकों को द्वितीय चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर एवं प्रक्रिया अनुसार आवंटन किया जावेगा।

प्रथम वरीयता के अनुज्ञापत्रधारी आवंटन से शेष नहीं रहने पर द्वितीय वरीयता पर उन अनुज्ञापत्रधारी आवेदकों को आवंटित किये जावेंगे जो विज्ञप्ति जारी होने के ठीक पूर्व के तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में निरन्तर व्यवसायरत हो। ऐसे आवेदकों को द्वितीय चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर डी.एल.सी. की डेढ़ गुणा राशि एवं प्रक्रिया अनुसार आवंटन किया जावेगा।

उक्त के अतिरिक्त दुकान/भूखण्ड रिक्त रहने की दशा में शेष समस्त अनुज्ञापत्रधारी आवेदक जो विज्ञप्ति दिनांक से पूर्व के अनुज्ञाधारी हैं, को द्वितीय चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर डी.एल.सी. की दो गुणा राशि का भुगतान करने पर द्वितीय चरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवंटन किया जावेगा।

निःशक्तजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला कृषक, जैविक खेती उत्पादक कृषक तथा कृषक उत्पाद संगठन/कम्पनी को सक्षम अधिकारी/विभाग का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं।

आवेदन हेतु आवेदन पत्र एवं शर्तें 200/– रू. नगद/बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा जमा करवाकर मण्डी समिति कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन पत्र भरकर निर्धारित धरोहर राशि के रूप में 10000/–रू. के बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ दिनांक 30.09.2021 सायं 6:00 बजे तक कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर में जमा करवाये जा सकते है। धरोहर राशि बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट "कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर" के नाम से जयपुर में ही देय द्वारा ही स्वीकार्य होगी। नगद राशि स्वीकार्य नही होगी।

आवंटन समिति द्वारा भूखण्डों का आवंटन तत्समय प्रभावी निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जावेगा। भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित अन्य जानकारी कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर देखी एवं प्राप्त की जा सकती है अथवा विभागीय वेबसाईट http://agriculture.rajasthan.gov.in/mandi पर भी देखी जा सकती हैं। वह व्यक्ति/फर्म ही आवंटन के लिए पात्र होंगे जिन्हें मुख्य मण्डी प्रांगण/गौण मण्डी प्रांगण में पूर्व में कोई दुकान/भूखण्ड/गोदाम/व्यवसायिक स्थल आवंटित नहीं है। आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों की संख्या व साईज में आवंटन प्रक्रिया के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर कमी/वृद्धि की जा सकती है।

(नरेश यादव)
सचिव
कृ.उ.म.स.(फ.स.)जयपुर

(आशु चौधरी)
प्रशासक
कृ.उ.म.स.(फ.स.)जयपुर

क्रमांक :– 928-953

दिनांक :– 30-6-21

प्रतिलिपि :– **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. श्रीमान निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर, जयपुर।
3. श्रीमान क्षैत्रीय संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर खण्ड जयपुर।
4. श्रीमान प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति, (फल सब्जी) जयपुर
5. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर, जयपुर
6. श्रीमान महाप्रबन्धक, रा0रा0कृ0वि0 बोर्ड, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
7. श्रीमान उपनिदेशक/प्रोग्रामर महोदय, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को आवंटन विज्ञप्ति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
8. प्रबंधक राजस्थान संवाद को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति न्यूनतम साईज में 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्र के आगामी अंक मे प्रकाशन करावें।
9. अध्यक्ष, व्यापार मंडल/व्यापार संघ,
10. अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, जयपुर।
11. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/पंचायत समिति/व्यापार मण्डल/व्यापार संघ/नगर निगम, हैरिटेज/ग्रेटर जयपुर/कार्यालय हाजा/कार्यालय गौण बगरू/जनता मार्केट/शाहपुरा/बढारणा।
12. लेखा/आवंटन शाखा, कार्यालय हाजा।
13. आरक्षित पत्रावली।

(नरेश यादव)
सचिव
कृ.उ.म.स.(फ.स.)जयपुर